य उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
न अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
नम्बरः—198/2019 प्रार्थना पत्र
लाल पिता रामा भील, उम्र बालिग निवासी मकान नम्बर 423, वैदवति स्कूल के पीछे, वार्ड नं. 7
गर—भीलवाड़ा (राजस्थान)

———प्रार्थी

बनाम

ाराण पिता जयराम गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
ते तुलछी बेवा जयराम गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
रू पिता हजारी कुम्हार, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
वा पिता गोपी गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
बेवा गोपी गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
ादू पिता हरलाल गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
तन पिता हरलाल गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
ाराण पिता हजारी गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
णेश पिता सवाईराम बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
स्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

————विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः—21.10.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व ा 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रामपुरिया पटवार नपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 299 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा ी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व श्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के रगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 5.8.2019 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये पक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल किये गये। विपक्षीगण संख्या 1,2,3,4,5,6,7,8,9 व 10 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे ाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश 3.10.2019 को पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी हस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की त की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय त विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की त की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में ने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के वीकार किया जाकर कि ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में हाल आराजी नम्बर 299 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी ाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, गुरला को -रूपये (चार सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस ौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में ही ढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner